राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ 6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू/95/19 क जयपुर, दिनांक :28.09.2004

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 6 (179) परि/टैक्स/एच.क्यू/95/19, दिनांक 31.3.2000 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से, इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 2 में यथा–विनिर्दिष्ट, ड्राइवर को छोड़कर चार तक की सीट क्षमतावाले तिपहिया यात्री यानों के मामले में एक बारीय कर की दर, इसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है:–

सारणी

क्र.सं.	परिवहन यानों के वर्ग का वर्णन	एक–बारीय कर
1.	2.	3.
1	ड्राइवर को छोड़कर दो तक की सीट क्षमता वाले तिपहिया यात्री यान	अधिकतम 3000/–रु. के अध्यधीन रहते हुए यान/चैसिस की लागत का 8:
2	ड्राइवर को छोड़कर तीन की सीट क्षमता वाले तिपहिया यात्री यान	अधिकतम 6000/–रु. के अध्यधीन रहते हुए यान/चैसिस की लागत का 9:
3	ड्राइवर को छोड़कर चार की सीट क्षमता वाले तिपहिया यात्री यान	अधिकतम 8000/–रु. के अध्यधीन रहते हुए यान/चैसिस की लागत का 10:

परन्तु राज्य में या बाहर पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में यदि स्वामी या यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर संदत करने का विकल्प देता है तो एक–बारीय कर का परिनिर्धारण, ऊपर यथा–संगणित कर की रकम को घटाकर, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 7 वर्ष तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 10 प्रतिशत की दर से किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :– कर की संगणना के लिए यानों की लागत :

(i) नये यान/चैसिस के मामले में क्रय बिल में यथादर्शित समस्त करों सहित शोरूम–बाह्य कीमत होगी ।

(ii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत/खरीदे गये और समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए राजस्थान में लाये गये यानों और इस अधिसूचना के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प देने के मामले में वह लागत होगी जो उस दिन, जिस दिन कर शोध्य होता है इस राज्य में तत्समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो ।

(iii) राजस्थान में पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में वह लागत होगी जो उस वित्तीय वर्ष, जिसमें वह इस अधिसूचना के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प देता है, की 1 अप्रैल को इस राज्य में तत्समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित है।

टिप्पण:– 1. इस प्रयोजन के लिए, किसी भी राज्य या संघ राज्य–क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत और किसी भी राज्य (राजस्थान सहित) या संघ राज्य क्षेत्र में उपयोग में लाये गये या उपयोग के लिए रखे गये यानों के संबंध में उस वर्ष को, जिसमें यान का उपयोग किया गया था या उसे

उपयोग के लिए रखा गया था, ऐसे माना जायेगा मानो यान को इस राज्य में उपयोग में लिया गया था या उपयोग के लिए रखा गया था, बशर्ते कि ऐसे यान पर शोध्य कर संबंधित राज्य या संघ–राज्य क्षेत्र को, उस राज्य या संघ –राज्य क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधो के अधीन संदत कर दिया गया है और यह भी कि ऐसे यान का स्वामी या उसका नियंत्रण या कब्जा रखने वाला व्यक्ति कराधान अधिकारी को अनापत्ति प्रमाणपत्र पेश कर दे ।

2. किसी मोटर यान के स्वामी या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, संदत्त की जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव